

Form No. III

अज अदालत

उपरखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

शोकुल

बनाम

शैलान राम वगैरे

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92A

काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 163 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिंसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

5/9/19

वकील वादी उपस्थित ।
 वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत ~~88, 92A~~ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/9/19 को पेश हो।

490
5/11/19

उपरखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

27/9/19

पत्रावली पेश हुई आज भीमराव अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है/अपन पर है/वेक में पत्रावली है/अवकाश पर है/अतः पत्रावली दिनांक 11/11/19 को पेश हो।

रिडर

उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

11/11/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी उपर वकील वादी ने पूर्व में दिनांक 5/9/19 को उपरत बाबत दशा विज्ञा करने का इत आशय का पेश किया कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान (वादी एवं प्रतिवादी) के मध्य राजीनामा हो चुका है जिसके फलस्वरूप वादीगण हस्तगत वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण को शेष करमाया जाये। हमने वकील वादी के प्रस्तुत उपरत कस का अवलोकन किया तथा निवेदन पर मनन किया कि वकील वादी ने स्वयं राजीनामा पेश किया है तथा निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण को आगे चलाना -मायाचित नहीं। हस्तगत प्रकरण को वकील वादी की लक्ष्मि के आधार पर जरिये राजीनामा जारी की जा रही है। मित्रल के लक्ष शमार होकर नम्बर ले लय हो। निर्णय आज दिनांक 11/11/19 को खुले न्यायालय में हुआ गया।

सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

